

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या- 0145-2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-एफ14()एफसीए/उवसं/2019-20/ 8522

दिनांक :- 17/08/2019

निमित्त,

निदेशक,

विमानपत्तन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

किशनगढ़ हवाई अड्डा (अजमेर)।

विषय:- Diversion of 0.0027 Hectare Forest Land in favour of Airport Authority of India, Kishangarh, Ajmer for Construction of Communication post for Airport Kishangarh District ajmer rajasthan.

संदर्भ:- राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प.1(35)वन/2019 दिनांक 04.09.2019 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा प्रकरण में पार्ट-I, II, III एवं IV में Construction of Communication post for Airport Kishangarh District ajmer का विषय अंकित किया गया है जबकि जिला कलक्टर द्वारा जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले एफआरए सर्टिफिकेट obstruction light works fill in ajmer district के संबंध में जारी किया गया है।

उक्त विरोधाभाषी स्थिति के संबंध में स्थिति स्पष्ट करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


भवदीय,


(लोकेश कुमार शर्मा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :-सम/

दिनांक:-

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, अजमेर को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।


उप वन संरक्षक
अजमेर

for
17/9/19

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (35) वन/2019

जयपुर, दिनांक: SEP 2019

उपप्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर ।



विषय:-Diversion of 0.0027 ha of forest land in favour of
Airport Authority of India, Kishangarh, Ajmer for
Construction of Communication post for Airport
Kishangarh, District-Ajmer, Rajasthan.

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 ()2017/एफसीए/प्रमुवस/2900
दिनांक 06.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव के कम में निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रस्ताव के पार्ट I, II, III एवं IV में Construction of Communication post for Airport Kishangarh, District-Ajmer का विषय अंकित किया गया है जबकि जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया जाने वाले एफ.आर.ए सर्टिफिकेट Obstruction light works fill in Ajmer District के संबंध में जारी किया गया है।

अतः उक्त विरोधाभाषी स्थिति के संबंध में स्पष्ट करावें। साथ ही यह भी स्पष्ट करवाने का श्रम करावें कि प्रस्ताव के संबंध में स्वीकृति राज्य स्तर से जारी की जानी है या भारत सरकार के स्तर से जारी की जानी है।

भवदीया

(मोनाली सेन)

विशेषाधिकारी

आपका मुक्त वन संरक्षक के पास
जयपुर (73क) मुक्त/18-11 6763 13/09/16-1-19
जयपुर उप वन संरक्षक के पास के लिए प्रस्ताव
कानिवादी हेतु उचित है

उप वन संरक्षक
(प्रशासन)

राजस्थान सरकार, जयपुर